भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2399

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा

†2399. **श्री तंगेला उदय श्रीनिवास**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के पात्र स्कूलों की संख्या कितनी है और कितने स्कूलों ने वास्तव में उक्त नीति को कार्यान्वित किया है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने छात्रों को बस्ता-रहित दिवस, कारीगरों, उद्योग भागीदारों या कौशल संस्थानों के साथ इंटर्नशिप सहित व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हुआ है;

(ग) एनईपी 2020 में अनुशंसित व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं या संबंधित अवसंरचना की स्थापना करने वाले स्कूलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को एनईपी के तहत व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) देश में स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी निधि आबंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(च) क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन में कोई कमी, विलंब या चुनौतियां पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा एनईपी के तहत व्यावसायिक शिक्षा के अधिदेशों के अनुपालन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अनुसूची 7 में है। भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों शिक्षा से संबंधित नीतियों को तैयार करने और उनके निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थाओं में मुख्यधारा की शिक्षा में कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। कौशल शिक्षा के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों की मैपिंग के आधार पर किया जाता है।

भारत सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के अनुसार और योजना के कार्यक्रमिक तथा वित्तीय मानदंडों और बजट संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा, के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत कक्षा VI से VIII के विद्यार्थियों के लिए पूर्व-व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने में सहायता की जाती है। इस चरण में कौशल शिक्षा का अनुभव विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी-संबंधी कौशल का पता लगाने में सक्षम बनाता है और उन्हें सूचित विषय विकल्प चुनने में सहायता करता है। कौशल प्रदर्शन के लिए कक्षा VI से VIII के विद्यार्थियों के लिए 10 दिवस की बैगलेस अवधि का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मध्यवर्तन है, जिसके दौरान विद्यार्थी कारीगरों, बागवानों और शिल्पकारों जैसे स्थानीय विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वर्ष 2024-25 तक लगभग 3.03 करोड़ छात्रों को पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण और 10 बैगलेस डे संबंधी पहलों का लाभ प्रदान किया गया है। उपरोक्त दोनों पहलों से लाभान्वित छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इस योजना के कौशल शिक्षा घटक के तहत, कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा IX और X में, विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा XI और XII, कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

सभी मिडिल और माध्यमिक स्तर के स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कौशल अनुभव शुरू करने हेतु पात्र हैं। सभी माध्यमिक स्तर के स्कूल देश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए कौशल शिक्षा शुरू करने हेतु पात्र हैं। वर्तमान में, यूडाइस+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 3,06,942 माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 31,477 स्कूलों को कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है और 20,724 स्कूलों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल शिक्षा के लिए 4,988 पीएम श्री विद्यालयों को भी अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 3,798 स्कूल पहले से ही कौशल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के आधार पर संकलित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में हैं।

जहां तक सीबीएसई का संबंध है, 30,000 से अधिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं और ये सभी एनईपी 2020 के तहत कौशल शिक्षा शुरू करने के लिए पात्र हैं। सीबीएसई कक्षा IX और X के विद्यार्थियों के लिए 22 कौशल विषय और कक्षा XI और XII के विद्यार्थियों के लिए 43 कौशल विषय संचालित करता है। 1286 केंद्रीय विद्यालय और 647 जवाहर नवोदय विद्यालय माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कौशल पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय आवंटन, जारी करने और उपयोग की निगरानी प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग) प्रणाली के माध्यम से की जाती है। आवंटित और उपयोग की गए निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। कार्यान्वयन की निगरानी और परिचालन संबंधी मामलों के समाधान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संवाद और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कौशल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, स्कूल बोर्ड पुरस्कार देने वाले निकाय और मूल्यांकन प्राधिकरण बनने हेतु एनसीवीईटी के साथ पंजीकरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हब-एंड-स्पोक मॉडल की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें निर्दिष्ट हब स्कूलों में उपलब्ध कौशल अवसरंचना का उपयोग पड़ोस के स्पोक स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक और इसी तरह के संस्थानों को भी व्यावहारिक अधिगम तक व्यापक पहुंच की सुविधा के लिए हब के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कौशल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, विभाग ने 21 विषयों में 500 कैरियर कार्ड के साथ एक कैरियर गाइड बुक तैयार की है और व्यक्तिगत कैरियर मार्गदर्शन के लिए एआई/एमएल आधारित 'माई कैरियर एडवाइजर' मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू की है।

*****

अनुलग्नक- I

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पूर्व-व्यावसायिक अनुभव और बैगलेस डेज के तहत कवर किए गए छात्र

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	*	*	20542
2	आंध्र प्रदेश	130	100785	825143	180121
3	अरुणाचल प्रदेश	101	93978	*	263456
4	असम	*	104945	701218	*
5	बिहार	*	*	*	4704171
6	चंडीगढ़	106	36591	20329	76880
7	छत्तीसगढ	560	*	20329	2800000
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	*	*	9185	18475
9	दिल्ली	21	970	145175	1390181
10	गोवा	*	*	*	64895
11	गुजरात	260	19986	44900	778513
12	हरियाणा	110	112548	165245	304639
13	हिमाचल प्रदेश	240	66828	52136	203187
14	जम्मू और कश्मीर	2000	54054	74039	287167
15	झारखंड	*	18465	380299	625100
16	कर्नाटक	150	97363	43090	3432535
17	केरल	14	*	4950	*
18	लद्दाख	30	455	2937	5137
19	लक्षद्वीप	15	2622	2729	1439
20	मध्य प्रदेश	844	97042	*	1244044
21	महाराष्ट्र	500	33541	*	3829178
22	मणिपुर	*	27920	65329	26621
23	मेघालय	*	2659	*	5100
24	मिजोरम	220	13508	25120	6144
25	नागालैंड	34	22786	19044	41488
26	ओडिसा	100	*	113760	1240765
27	पुद्दुचेरी	18	*	*	238383
28	पंजाब	220	62878	234824	60323
29	राजस्थान	660	439595	561078	1174994
30	सिक्किम	377	33409	18329	32942
31	तमिलनाडु	*	*	*	*
32	तेलंगाना	192	*	90976	1878903
33	त्रिपुरा	205	10995	16476	39873
34	उत्तर प्रदेश	*	*	*	*
35	उत्तराखंड	130	6594	7503	214744
36	पश्चिम बंगाल	*	*	*	*
	कुल	**7237**	**1460517**	**3644143**	**25189940**

(स्रोत: समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट)

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया

अनुलग्नक- II

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कौशल शिक्षा के लिए अनुमोदित और कार्यान्वित स्कूल

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित स्कूलों की संख्या	कार्यान्वयन करने वाले स्कूलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	75	74
2	आंध्र प्रदेश	1578	1378
3	अरुणाचल प्रदेश	284	270
4	असम	2001	1780
5	बिहार	631	33
6	चंडीगढ़	77	77
7	छत्तीसगढ़	1284	1183
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	33	33
9	दिल्ली	616	289
10	गोवा	213	206
11	गुजरात	1755	1755
12	हरियाणा	1396	1104
13	हिमाचल प्रदेश	1737	1689
14	जम्मू और कश्मीर	2460	1350
15	झारखंड	929	659
16	कर्नाटक	898	392
17	केरल	261	261
18	लद्दाख	60	55
19	लक्षद्वीप	9	9
20	मध्य प्रदेश	2982	2276
21	महाराष्ट्र	946	650
22	मणिपुर	234	219
23	मेघालय	183	163
24	मिजोरम	171	167
25	नगालैंड	186	171
26	ओडिशा	1538	919
27	पुडुचेरी	65	65
28	पंजाब	2055	1981
29	राजस्थान	3736	1786
30	सिक्किम	211	211
31	तमिलनाडु	402	402
32	तेलंगाना	936	499
33	त्रिपुरा	556	430
34	उत्तर प्रदेश	2556	849
35	उत्तराखंड	1066	531
36	पश्चिम बंगाल	2345	606
	कुल	**36465**	**24522**

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट)

अनुलग्नक- III

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कौशल शिक्षा के लिए निधियों का आवंटन और उपयोग

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2025-2026		2024-2025		2023-2024	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1086.99	824.71	1175.27	1175.26	1051.00	757.51
2	आंध्र प्रदेश	8157.72	3173.88	9770.16	9264.31	7951.32	1769.67
3	अरुणाचल प्रदेश	3113.91	593.03	3009.47	2365.66	1932.48	2240.29
4	असम	20982.16	4643.39	19892.38	11350.09	13618.03	10366.05
5	बिहार	11222.12	17.11	235.11	106.34	1723.64	3844.05
6	चंडीगढ़	702.95	241.49	665.53	581.22	216.95	216.95
7	छत्तीसगढ़	19371.87	8552.00	18395.16	4403.84	15086.97	8679.36
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	333.15	49.11	355.30	176.13	212.74	85.00
9	दिल्ली	7936.69	599.07	5472.52	1445.45	2745.66	2744.28
10	गोवा	1210.93	572.23	1512.35	873.81	1317.64	734.64
11	गुजरात	18406.75	4876.70	20403.98	12513.08	9149.99	6850.79
12	हरियाणा	13467.00	4636.82	23919.02	11143.68	20470.01	10764.35
13	हिमाचल प्रदेश	15038.13	2266.18	16593.38	8137.64	12483.22	11974.82
14	जम्मू और कश्मीर	16173.71	7043.12	18251.68	5490.70	8998.98	6088.53
15	झारखंड	9659.14	0.00	9924.58	3787.64	8250.27	5958.93
16	कर्नाटक	6795.87	63.81	5727.36	2002.38	2915.04	1293.18
17	केरल	1279.99	452.31	1869.56	346.33	1183.48	686.97
18	लद्दाख	402.01	188.85	508.50	342.71	379.06	237.66
19	लक्षद्वीप	7.50	0.00	13.50	0.00	4.50	0.00
20	मध्य प्रदेश	36878.22	8742.57	28942.87	7478.90	19399.43	11497.10
21	महाराष्ट्र	7393.71	971.35	8262.45	3258.46	7135.96	2935.45
22	मणिपुर	1750.85	707.03	2693.53	793.46	2483.14	2245.54
23	मेघालय	2179.44	227.75	2237.45	1159.53	1620.19	1508.55
24	मिजोरम	1606.73	119.13	1276.89	1077.80	1135.78	358.40
25	नगालैंड	1288.26	173.28	1328.03	1031.91	1313.53	984.00
26	ओडिशा	10049.36	1867.79	16960.89	5213.32	14777.52	5304.13
27	पुडुचेरी	406.55	19.04	375.61	146.45	222.03	203.80
28	पंजाब	18863.80	3595.14	15889.73	8739.77	11593.35	9315.96
29	राजस्थान	32873.20	4820.25	37221.63	16382.00	29884.95	15965.53
30	सिक्किम	4121.90	812.10	4021.39	3946.39	3348.49	3319.11
31	तमिलनाडु	0.00	0.00	2096.91	0.00	2598.36	2396.10
32	तेलंगाना	3430.03	0.00	4373.96	3681.11	3527.35	1732.51
33	त्रिपुरा	4661.71	2269.06	3709.27	3651.33	2987.42	2611.24
34	उत्तर प्रदेश	30944.34	561.83	9826.72	2807.81	6051.51	787.55
35	उत्तराखंड	5927.49	317.01	6069.62	287.09	3250.09	1609.01
36	पश्चिम बंगाल	23370.75	3804.75	26043.50	0.00	19015.56	14590.57

(स्रोत: प्रबंध पोर्टल)